

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1241

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना

1241. श्री अभय कुमार सिन्हा:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या महिलाओं में एनीमिया की गंभीर स्थिति तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सरकार बिहार राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है;
- (ख) यदि हाँ, तो राज्य में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने, कुपोषण की रोकथाम करने तथा विशेषज्ञ मानव संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत के अंतर्गत अब तक बिहार में स्थापित स्वास्थ्य इकाइयों का तथा उन पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार का उक्त राज्य में, विशेषकर औरंगाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, स्वास्थ्य केंद्रों एवं कुपोषण की स्थिति का कोई आकलन करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता और बिहार सहित देश के सभी लोगों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एनएचएम के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी देती है। बिहार सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए आरओपी का विवरण निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है:

<https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744>

हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) (बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन), 2022-23 एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य परिचर्या प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। बिहार सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों/इकाइयों/बुनियादी ढांचे और विशेष मानव संसाधनों की उपलब्धता का विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

[https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastucture%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23\\_RE%20%281%29.pdf](https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastucture%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf)

देश भर में कुल 1.82 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्थापित और कार्यशील किए जा चुके हैं, जिनमें बिहार के 12,144 एएएम शामिल हैं, जो निवारक, प्रोत्साहक, प्रशामक, पुनर्वास और उपचारात्मक परिचर्या सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करते हैं।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत 64,180 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य उप-स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों, ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों, एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और गहन चिकित्सा अस्पताल ब्लॉकों (सीसीबी) के अवसंरचना विकास के लिए सहायता प्रदान करना है। बिहार राज्य के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पीएम-एबीएचआईएम के तहत कुल 3109.33 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए ये अनुदान वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में वितरित किए जाएंगे और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक होंगे। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिहार राज्य के लिए एफसी-XV स्वास्थ्य अनुदान के तहत कुल 6016.95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

भारत सरकार मातृ एवं शिशु कुपोषण से निपटने के लिए देश के साथ-साथ औरंगाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की प्रजनन मातृ नवजात शिशु किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएच+एन) कार्यनीति के तहत कई महत्वपूर्ण पोषण संबंधी पहलों को लागू कर रही है, जैसे एनीमिया मुक्त भारत, पोषण पुनर्वास केंद्र, माताओं का पूर्ण स्नेह, स्तनपान प्रबंधन केंद्र और विटामिन ए अनुपूरण कार्यक्रम। इसके अलावा, सरकार ने मिशन पोषण 2.0 अभियान भी शुरू किया है, जिसका एक लक्ष्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया की व्याप्तता और प्रसार को कम करना है।

एनएचएम के तहत, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रदर्शन का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें समीक्षा बैठकें, प्रमुख उपलब्धियों की मध्यावधि समीक्षा, वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरे, सेवा प्रदायगी के लिए मानदंड निर्धारित करके प्रदर्शन को बढ़ावा देना और उपलब्धियों को पुरस्कृत करना आदि शामिल हैं। बिहार राज्य सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए वार्षिक रूप से सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित किए जाते हैं।

\*\*\*\*\*